पत्रांक–**768**/तक0 / 2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–11वीं फरवरी 2022

सेवा में,

Rajesh Singh,
Near Mango Golchakkar, Pardih Road,
Beside Petrol Pump, Mango, Jamshedpur

बिषय :– **मौजा–मानगो, प्लाट नं0–4085(A,B,C,D), 4086(A,B,C,D,E), खाता नं0–822, 1108, वार्ड नं0–8, थाना–मानगो, जिला–पूर्वी सिंहभूम में निर्मित बहुमंजिली भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

आपके द्वारा ऑनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित बहुमंजिली भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, मानगो, जमशेदपुर से जाँच कराई गई। उनके द्वारा अपने ज्ञापांक–261, दिनांक–07.02.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय, राँची का पत्रांक–158, दिनांक–04.03.2016 के माध्यम से निर्मित बहुमंजिली भवन के लिए अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह निर्गत किया गया है।

फलस्वरूप इस प्रस्ताव को वापस करते हुए सुझाव है कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय से पूर्व में निर्गत सुझावों का अनुपालन यदि करा लिया गया हो तो BPAMS के माध्यम से NOC for Completion अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव भेजा जाय। इस प्रस्ताव के साथ सेल्फ अप्रेजल चेकलिस्ट, नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र, पूर्व में निर्गत किया अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह की प्रति एवं नगर निगम से पारित भवन प्लान इत्यादि अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय।

अनुलग्नक :– **यथोपरि।**

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.02.11 12:29:22 +05'30'

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक 158 /

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

विशेष पदाधिकारी,
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

राँची, दिनांक 04-03-16

प्रसंग :– आपका पत्रांक–284 दिनांक–23.02.2016

बिषय :– मेसर्स समय होम्स प्रा0 लि0, निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 मंगल सिंह के वार्ड सं0–08, मौजा–मानगो के खाता सं0–822, 1108, प्लॉट सं0–4085 ए, बी, सी, डी 4086, ए, बी, सी, डी, ई, जमशेदपुर में प्रस्तावित भवन निर्माण में अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित भवन में अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :–

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाय।
2. 2280 ली0/मि0 का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति करने में सक्षम हो।
3. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प की व्यवस्था रखी जाय।
4. प्रस्तावित भवन के उपर 450 ली0/मि0 क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
5. प्रस्तावित भवन में एक अदद फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम न हो।
6. सीढ़ीयों को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
7. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जायें।
8. N.B.C के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में चौड़ी ठोस एवं खुली जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।
9. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
11. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

(क्रमशः)

12. प्रस्तावित भवन में किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद अथवा बिस्फोटक सामग्री के दुकान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
13. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft copy) में इस कार्यालय. को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेगें साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया गया है।
14. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेगें।
15. प्रस्तावित भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.6 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन करें।
17. प्लान की प्रतियाँ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

<u>अनुलग्नक</u> :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

04.03.16

(राम कृष्ण ठाकुर)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।